सत्यनारायणसिह बनाम तहसीलदार
मुकदमा नम्बर 06/2019

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– शिवपाल जाट, R.A.S.

अपील प्रार्थना पत्र संख्या :– 12/2019 दायर तारीख 26-06-2019

1. सत्यनारायणसिंह पुत्र पाबूदानसिंह जाति राजपूत निवासी बरनेल

––: *अपीलान्ट*

बनाम

1. तहसीलदार परबतसर
2. सरपंच ग्राम पंचायत गूलर
3. भू. अभिलेख निरीक्षक जावाला
4. पटवारी हल्का गूलर

–– रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध :– निर्णय ग्राम पंचायत गूलर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.1977 नामान्तकरण संख्या 164 अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :– श्री गजराज चौहान अधिवता अपीलान्ट

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (राज.) परबतसर (नागौर)

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 23.07.2021

1. अपीलार्थी सत्यनारायणसिह ने यह अपील अभिभाषक श्री गजराज चौहान के जरिये पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम बरनेल के खसरा नम्बर 100 रकबा 3.49 हैक्टयर, खसरा नम्बर 112 रकबा 3.64 हैक्टयर , खसरा नम्बर 14 रकबा 0.030 हैक्टयर, खसरा नम्बर 11 रकबा 0.24 हैक्टयर, खसरा नम्बर 12 रकबा 1.95 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 87 रकबा 2.43 हैक्टयर स्थित हैं अपीलान्ट ने नामान्तकरण में नाम दुरूस्ती हेतु अपील पेश की हैं जिसमें अन्य हितबद्ध व्यक्ति जिनका नामान्तकरण साथ में भरा गया था उनको पक्षकार नही बनाया गया हैं तथा न ही कोई अनुतोष हितबद्ध व्यकितयों के विरूद्ध मांगा हैं क्योंकि अपीलान्ट केवल नामान्तकरण में नाम दुरूस्ती हेतु अपील पेश की है। सम्पूर्ण नामान्तकरण कानुनी रूप से सही भरा गया हैं। अपीलान्ट ने बताया हैं कि अपीलान्ट का राजस्व रिकार्ड में नाम सीतूसिंह पुत्र पाबूदानसिंह व घीसूसिंह पुत्र पाबूदानसिह नाम लिखा हुआ है। जो अपीलान्ट का घर पर बोलता नाम हैं। जबकि अपीलान्ट की

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

वास्तविक नाम सत्यनाराणसिंह पुत्र पाबूदानसिंह हैं जिस बाबत राशन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड वगैरहा में सत्यनाराणसिंह पुत्र पाबूदानसिंह नाम है। ग्राम बरनेल में सत्यानाराणसिंह पुत्र पाबूदानसिह व सीतूसिंह पुत्र पाबूदानसिंह एवं घीसूसिंह पुत्र पाबूदानसिंह नाम के अन्य कोई व्यक्ति नही हैं दोनों नाम एक ही व्यक्ति अपीलान्ट के है। राजस्व कर्मचारियों की गलती से उक्त नाम राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज हुआ हैं। अपीलान्ट ने अपील पेश कर नामान्तकरण संख्या 164 ग्राम गूलर को इस हद तक संशोधन करने का निवेदन किया हैं कि अपीलान्ट का नाम सीतूसिह पुत्र पाबूदानसिंह व घीसूसिंह पुत्र पाबदानसिंह के स्थान पर सत्यनारायणसिंह पुत्र पाबूदानसिह जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

2. अपील प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से दिनांक 06.08.2019 को जबाब पेश कर बताया हैं कि पटवार हल्का द्वारा पेश की गई जांच रिपोर्ट के अनुसार सीतूसिंह पुत्र पाबूदानसिह व घीसूसिंह पुत्र पाबूदानसिंह तथा सत्यनारायणसिंह पुत्र पाबूदानसिंह एक ही व्यक्ति के नाम हैं रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 4 के ने भी जबाब पेश कर उक्त भूमि में सत्यनाराणसिंह पुत्र पाबूदानसिह का नाम राजस्व रेकर्ड में सीतूसिंह पुत्र पाबूदानसिंह दर्ज हैं जबकि ग्राम बरनेल के मौजीज व्यक्तियों से पुछताछ व जांच करने पर यह जानकारी में आया हैं कि सत्यानारायणसिंह पुत्र पाबूदानसिंह व सीतूसिंह पुत्र पाबूदानसिह व घीसूसिंह पुत्र पाबूदानसिह नाम का एक ही व्यक्ति हैं अन्य कोई व्यक्ति नहीं हैं जिससे राजस्व रेकर्ड में अपीलान्ट का नाम दुरूस्त किया जाना उचित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का सम्मन विधिवत तामील के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में नामान्तकण संख्या 164 की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी संम्वत 2073–76 की प्रति, आधार कार्ड , राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रतियां पेश की है।

3. अपीलान्ट की अपील पर उसके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस अधिवक्ता अपीलार्थी पर मनन किया गया।

4. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया हैं कि अपीलान्ट को बचपन में घर पर बचपन में जिस नाम से पुकारा जाता था वही नाम अपीलान्ट के पिता का स्वर्गवास होने पर फौतगी नामान्तकरण दर्ज करते समय दर्ज कर दिया गया, राजस्व कर्मचारियों

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

ने अपीलान्ट का ग्राम बरनेल की भूमि में गलती से सीतूसिंह पुत्र पाबूदानसिंह व घीसूसिंह पुत्र पाबूदानसिंह नाम अंकित कर दिया जबकि अपीलान्ट का सही नाम सत्यनारायणसिंह पुत्र पाबूदानसिंह हैं अपीलान्ट के अन्य सभी दस्तावेज राशन कार्ड , आधार कार्ड परिचय पत्र आदि में अपीलान्ट का नाम सत्यनारायणसिंह पुत्र पाबूदानसिंह दर्ज है। अपीलान्ट के राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं आधार कार्ड का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलान्ट का सही नाम सत्यनारायणसिंह पुत्र पाबूदानसिह दर्ज हैं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 राजपैरोकार ने दिनांक 06.08.2019 को जबाब पेश किया हैं जिसमें बताया गया हैं कि सीतूसिंह पुत्र पाबूदानसिह, घीसूसिंह पुत्र पाबूदानसिंह तथा सत्यनारायणसिह पुत्र पाबूदानसिह एक ही व्यक्ति के नाम हैं, रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 4 ने भी स्वीकार किया हैं कि सीतूसिह, घीसूसिंह एवं सत्यानाराणसिंह एक ही व्यक्ति अपीलान्ट के नाम हैं राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है, इस सम्बन्ध में सरपंच ग्राम पंचायत गूलर ने प्रमाण पत्र जारी किया हैं जिसमें तीनों नाम का एक ही व्यक्ति अपीलान्ट ग्राम बरनेल में होना बताया गया है। अपीलान्ट ने धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर अपीलान्ट का नाम नामान्तकरण में गलत दर्ज होने की जानकारी दिनांक 16.06.2019 होना बताया हैं तथा देरी को माफी प्रदान कर अपीला को मयाद में शुमार किये जाने का निवेदन किया गया है। नामान्तकरण संख्या 164 का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण संख्या 164 ग्राम बरनेल के गत खसरा नम्बर 40 रकबा 21–11 बीघा भूमि में खातेदार पाबूदानसिह फौत सम्वत 2030 में होने पर जाईन्दा लड़का सीतूसिंह, मोहनसिंह, रघुवीरसिंह पि. पाबूदनसिह कौम राजपूत के नाम दर्ज किया गया है। अपीलाटन्ट द्वारा जो अपील पेश की गई हैं उसमें खसरा नम्बर 40 रकबा 21–11 बीधा के नये खसरा नम्बर क्या कायम हुए हैं के सम्बन्ध में मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया हैं, तथा अपीलान्ट ने अपील के साथ जमाबन्दी सम्वत 2073–76 पेश की हैं ग्राम बरनेल के खसरा नम्बर 100 रकबा 3.49 हैक्टयर भूमि में सीतूसिह पुत्र पाबूदानसिह दर्ज हैं खसरा नम्बर 87 रकबा 2.43 हैक्टयर पेश की हैं जिसमें घीसूसिंह पुत्र पाबूदानसिह दर्ज हैं तथा खसरा नम्बर 112, 14 कुल रकबा 3.67 हैक्टयर पेश की हैं जिसमें भी सीतूसिंह पुत्र पाबूदानसिह दर्ज हैं तथा खसरा नम्बर 11, 12 कुल रकबा 2.19 हैक्टयर पेश की हैं जिसमें भी सीतूसिंह पुत्र पाबूदानसिंह दर्ज हैं, खसरा मिलन के बिना स्पष्ट नहीं हो रहा हैं कि गत खसरा नम्बर 40 रकबा 21–11 बीघा भूमि हैं उसके वर्तमान जमाबन्दी में कौन से खसरा

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

नम्बर कायम हुए हैं अपीलान्ट द्वारा जो जमाबन्दीयां अन्य खसरान की पेश की हैं उसमें भी अपीलान्ट का नाम सीतूसिंह पुत्र पाबूदानसिंह ही दर्ज रिकार्ड हैं जिसमें नाम दुरूस्त करवाने हेतु अपीलान्ट ने कोई इस्तदुआ नहीं की है, ना ही अन्य खातेदारी में दर्ज नाम के सम्बन्ध में कोई नामान्तकरण आदि पेश किया हैं, नामान्तकरण अपीलान्ट द्वारा अपने पिता की मृत्यु के बाद जो दस्तोवज सजरा खानदान पटवारी हल्का को दिये हैं के आधार पर ही नामान्तकरण में नाम दर्ज किया गया हैं जिसकी जांच में पाबूदानसिंह फौत होने पर उसके वारिसान सीतूसिंह, मोहनसिंह तथा रघुवीरसिंह के नाम दर्ज किया जाना सही पाया गया हैं जिसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया हैं नामान्तकरण प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि होना नहीं पायी जाती हैं, अपीलान्ट का अन्य भूमियों में भी नाम सीतूसिंह ही दर्ज रिकार्ड हैं इस अपील के आधार पर किस भूमि में अपीलान्ट नाम दुरूस्त करवाना चाहता हैं यह स्पष्ट करने में असफल रहा हैं जिससे अपीलान्ट की अपील साबित नहीं होती हैं। स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः अपीलान्ट अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 विरूद्ध आदेश नामान्तकरण संख्या 164 दिनांक 27.10.1977 साबित करने में असफल रहा है। जिससे अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

यह आदेश आज दिनांक 23.07.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

23/7/21
(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर